

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-04 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
04-(क) क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) राजाज्ञा, दिनांक-28 मार्च, 2005 से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों हेतु जारी भर्ती विज्ञापन के सापेक्ष चयनित शिक्षकों / कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन चुनने का अवसर दिए जाने हेतु शासनादेश जारी करायेंगे?	जी नहीं। दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) लागू है। दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से पूर्व तक जिन कार्मिकों द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है उन्हें पुरानी पेंशन अनुमन्य है।
(ख) यदि हाँ, तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) लागू है। दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से पूर्व तक जिन कार्मिकों द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है उन्हें पुरानी पेंशन अनुमन्य है।

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री।